Swadeshi Research Foundation A Monthly Journal of Multidisciplinary Research
International Peer Reviewed, Refereed, Indexing & Impact Factor - 5.2, Ex- UGC S.N. 4990
ISSN : 2394-3580, Vol. - 9, No. - 2, Dec. - 2021
2021

बेतूल जिले के औद्योगिक विकास में नई आर्थिक नीति का प्रभाव

डॉ. एस.के. खटीक
अध्यक्ष एवं पूर्व अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
राजेश शेषकर
सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, ज.हॉ. शासकीय महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.)

सारांश :– आर्थिक नीति का तात्पर्य सरकार द्वारा की जाने वाली ऐसी औपचारिक घोषणा से है, जिसके द्वारा सरकार विकास के प्रति अपनायी जाने वाली सामान्य नीतियों का उल्लेख करती है। किसी भी नीति के दो भाग होते है प्रथम सरकार की विचारधारा जो औद्योगीकरण का स्वरूप निश्चित करती है, तथा द्वितीय इसको कार्यान्वित करने वाले नियम तथा सिद्धान्त जो इस नीति के पीछे विद्यमान विचारधारा को निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। इस प्रकार आर्थिक नीति एक व्यापक विचारधारा है, जो उद्योगों की स्थापना और कार्य प्रणाली के लिए नीति सम्बन्धी ढॉचा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। 1915 में पहली बार यह अनुभव किया गया कि भारत में उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। अतः औद्योगिक आयोग की नियुक्ति सन् 1916 में की गयी जिसने अपनी रिपोर्ट सन् 1921 में दी। इस आयोग ने भारत में उद्योगों के विकास के लिए अनेक सुझाव दिये, किन्तु तत्कालीन सरकार ने उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। सन् 1956 की औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई। 1948 की औद्योगिक नीति के पश्चात् लगभग 8 वर्षो के अंतराल के बाद 1956 की नीति निर्धारित की गई। इस बीच देश के औद्योगिक परिवेश में अनेक परिवर्तन हो चुके थे और इन परिवर्तनों के अनुरूप औद्योगिक नीति में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया था। 1948 की औद्योगिक नीति आजादी के एक वर्ष बाद ऐसे समय निर्मित की गई जब देश अनेक राजनैतिक एवं आर्थिक समस्याओं से ग्रसित था। उस समय तक आजाद भारत के भावी आर्थिक विकास की स्पष्ट रूपरेखा सरकार के सामने नहीं थी परन्तु देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक विशेष वातावरण बनाने के उद्देश्य से शीघ्रता में सन् 1945 की औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। जिसमें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलना आवश्यक समझा गया। इसलिए द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्तावित की गई।

प्रस्तावना :– आर्थिक नीति से आशय सरकार द्वारा की जाने वाली ऐसी औपचारिक घोषणा से है, जिसके द्वारा सरकार विकास के प्रति अपनायी जाने वाली नीतियों, नियमों एवं सिद्धान्तों का उल्लेख करती है, जिससे देश का विकासशील ढॉचा प्रभावित होता है। स्वतंत्रता पश्चात देश समाजवादी व मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास का मार्ग चुना। किसी भी देश के विकास में निजी एवं सार्वजनिक दोनो क्षेत्रों का संतुलित विकास आवश्यक है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास परिणामस्वरूप लोगों को समानता का तो अधिकार प्राप्त हुआ, व देश खाद्यान व कुल गिनी चुनी वस्तुओं पर आत्मनिर्भर भी हुआ किन्तु देश का आर्थिक विकास विश्व की आर्थिक शक्तियों का सामना करनें में सक्षम नही था अतः देश में विदेशी मुद्रा के भण्डारण में कमी आने लगी। हमारे देश में निरंतर आयात में वृद्धि व निर्यात में कमी होती जा रही थी। जून 1991 में एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि देश में विदेशी मुद्रा के भण्डारण मे कमी के कारण अभूतपूर्व आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। तभी तत्कालीन सरकार ने देश में नई आर्थिक नीति की घोषणा की जिसे नई आर्थिक नीति 1991 के नाम से जाना जाता है। नई आर्थिक नीति पिछली आर्थिक नीति 1956, 1973, 1980 की भॉति मूल 1948 की नीति में संअध्ययनन है। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के अन्तर्गत सरकारी नियंत्रण मे कमी, पिछडे क्षेत्रों का विकास, संरचनात्मक उद्योगों का प्रोत्साहन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगो में निजी क्षेत्र की सीमा बढ़ाना व निर्यात प्रोत्साहन के साथ एकाधिकारी व्यापार अधिनियम में उदार दृष्टि कोण आदि अपनाया गया। अब विदेशी निवेश को लेकर भूमि तैयार की जा रही है, एफ.डी.आई. के माध्यम से विदेशी पूँजी को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चिततौर पर नई आर्थिक नीति का देश के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव चारो ओर देखा जा सकता है।

नयी आर्थिक नीति 1991 जो निजीकरण वैश्वीकरण व उदारीकरण नीति आदि नामों से जानी जाती है। का मूल उद्देश्य देश की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन कर अधिकाधिक निजी क्षेत्र को बढाना व सरकारी हस्तक्षेप कम कर विश्व बाजार का निर्माण

करना है।

सैकडों वर्षो की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से देश का विकास करने का सुनिश्चय किया। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए अपना दृष्टिकोण 1948 में जारी औद्योगिक नीति प्रस्ताव में स्पष्ट किया।इस संदर्भ में दूसरा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में प्रस्तुत किया। इन दोनों प्रस्तावों के बीच भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्योगों के नियंत्रण एवं नियमन के लिए औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 लागू किया। देश के विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने औद्योगिक नीति विशेषकर औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम के कार्यान्वयन की कटु आलोचना की और यह कहा गया कि इससे औद्योगिक विकास के सपने पूर्ण नहीं होगे और भ्रष्टाचार बढेगा। अतः सरकार ने 1970 तथा 1980 के दशक में औद्योगिक नीति के उदारीकरण की दिशा में कदम बढाए और इस कदम को सफल बनाने हेतु 1991 में क्रांतिकारी परिवर्तन कर नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की और लाइसेसिंग तथा अन्य औद्योगिक प्रतिबंधों को शिथिल कर दिया गया। इस कदम का भव्य स्वागत भी हुआ।

नयी आर्थिक नीति जुलाई 1991 से लागू है। इसका प्रतिपादन दो चरणों में किया गया। एक तो 24 जुलाई 1991 को जिसका सम्बन्ध बड़े एवं मध्यम उद्योगों से है, और दूसरा 6 अगस्त 1991 को जो लघु उद्योगों से सम्बन्धित है। नयी नीति में अनेक उदारवादी कदम उठाये गये और सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। अनेक आरक्षित उद्योगो के द्वार निजी क्षेत्र के लिए खोल दिये गये। एकाधिकार और प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अधीन उद्योगों की परिसम्पति सीमा समाप्त कर दी गई तथा विदेशी फर्मो को और रियायतें दी गई। नयी नीति 1991 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है–

1. लाइसेस व्यवस्था समाप्त– नयी आर्थिक नीति 1991 में 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस आवश्यक थे, वे हैं– कोयला, पेट्रोलियम, चीनी, सिगरेट, मोटर कार एवं विलासिता की कुछ वस्तुएँ आदि। अब 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, ये उद्योग है–शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, सुरक्षा का सामान तथा औद्योगिक विस्फोटक। इन उद्योगों को परिशिष्ट 11 में शामिल किया गया।

2. सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका– औद्योगिक नीति 1956 में 17 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गये थे। नयी नीति 1991 में इनकी संख्या घटाकर 8 कर दी गई। बाद में 5 और उद्योगों को आरक्षण से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार केवल 3 उद्योग ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रह गये। ये उद्योग हैं–परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा (उत्पादन व उपभोग नियन्त्रण) आदेश 1995 की सूची में दर्ज खनिज एवं रेल परिवहन।

नयी आर्थिक नीति 1991 में यह स्पष्ट किया गया कि सार्वजनिक उद्यमों में सरकारी अंश के एक हिस्से को म्युच्वल फण्डो (Mutual funds), वित्तीय संस्थाओं, आम जनता तथा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को बेच दिया जाएगा ताकि ये उद्योग साधन जुटा सकें तथा इनकी गतिविधियों में और लोग भी भाग ले सकें। यह भी स्पष्ट किया गया कि जो सार्वजनिक उद्यम गंभीर रूप से बीमार है उनके लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से सलाह ली जायेगी ताकि पुनर्निर्माण की योजनाएँ तैयार की जा सकें, जो इकाइयॉ दोबारा तैयार नहीं हो सकती उन्हे बन्द किया जा सकेगा।

3. एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार– 1991 की आर्थिक नीति के अंतर्गत एकाधिकार प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों की परिसम्पत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया। अतः अब नयी इकाइयों की स्थापना, विस्तार, विलयन, सम्मेलन तथा अधीनीकरण के लिए तथा निर्देशकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नही रहा है।

4. उद्योग स्थान का स्थानीयकरण– नयी आर्थिक नीति के अंतर्गत उद्योगो की स्थान निर्धारण नीति में भी परिवर्तन किया गया और यह व्यवस्था की गई कि उन उद्योगों के अलावा जिनमें अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है यदि ये उद्योग 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में स्थपित किये जा रहे हैं। उद्योगों को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्थापित किये जा रहे हैं तो ये प्रदूषण फैलाने वाले हो तो इन्हें शहरी सीमा से 25 कि.मी. बाहर लगाये जा सकते हैं। पिछड़े एवं ग्रामीण अंचलों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक रियायतें एवं सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

5. विदेशी विनियोग एवं टेक्नॉलाजी – भारत में विदेशी विनियोग पर नियंत्रण लगाये जाते रहे है। भारतीय फार्मों द्वारा विदेशी तकनीकी की खरीद का

प्रश्न हो अथवा विदेशी विनियोग का प्रश्न हो, प्रत्येक परियोजना के लिए सरकारी अनुमति लेना अनिवार्य शर्त रही है। इस नीति के विरोध में कहा गया है कि इसके फलस्वरूप परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बेकार की देर होती थी और व्यावसायिक निर्णय लेने में कठिनाई होती थी। अतः 1991 की नयी औद्योगिक नीति में उच्च तकनीकी एवं उच्च विनियोग के आधार पर कुछ प्राथमिक उद्योगों की सूची तैयार की गई है। (इन्हें परिष्ट (iii) में शामिल किया गया)। इन उद्योगों में बिना सरकार की अनुमति लिए 51 प्रतिशत तक विदेशी ईक्विटी की अनुमति दी गई। जिन उद्योगों में यह स्वतः अनुमोदन की सुविधा प्रदान की गई उनमें अनेक पूंजीगत वस्तु उद्योग, धातुकर्म उद्योग, उपभोग मनोरंजन उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि सम्मिलित हैं। इनमें वे उद्योग भी सम्मिलित किये गये जो अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए जरूरी हैं। बाद में इनमें से अधिकतर उद्योगों के लिए विदेशी ईक्विटी की सीमा को 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत और फिर 100 प्रतिशत कर दिया गया। वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों में स्वतः अनुमोदन आधार पर 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग (FDI) विनिमय करने का अधिकार है। केवल निम्नलिखित क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग पर प्रतिबन्ध है–

1. खुदरा व्यापार या फुटकर व्यापार (एकल ब्रॉड उत्पादन खुदरा बाजार के अलावा)
2. परमाणु ऊर्जा
3. लाटरी का धंधा तथा
4. जुआ और सट्टा।

वर्ष 1991 के बाद की अवधि में विदेश विनियोग और विदेशी तकनीकी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किये है।

नयी आर्थिक नीति, 1991 एक दृष्टि में –

1. उद्योग पर लगे प्रशासनिक एवं कानूनी नियन्त्रणों को ढीला किया जाएगा।
2. 18 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए अब लाइसेंस की जरूरत नहीं। लाइसेंसशुदा उद्योगों में कोयला, पेट्रोलियम, चीनी, मोटर–कार, खतरनाक रसायन, औषधि व विलासिता की कुछ वस्तुओं का उत्पादन शामिल है।
3. पूँजीगत सामान के आयात को बिना किसी रूकावट अनुमति मिलेगी।
4. सभी मौजूदा उत्पादन इकाइयों की विस्तार परियोजनाएं लागू करने के लिए भी किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं।
5. फेरा कंपनियों में विदेशी पूँजी अनुपात अब 40 के स्थान पर 51 प्रतिशत हो सकेगा। विदेशी पूँजी निवेश की स्वीकृति प्राप्त करने में अब कोई अड़चन नहीं।
6. विदेशी पूँजी निवेश के साथ विदेशी टेक्नोलॉजी प्राप्त करना अब जरूरी नहीं।
7. एम.आर.टी.पी. (एकाधिकार प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार) कंपनियों की सम्पति की कोई अधिकतम सीमा नहीं।
8. डी.जी.टी.डी. प्रौद्योगिकी विकास निदेशालय सहित सभी वर्तमान उद्योग पंजीकरण कार्यक्रम योजनाएँ समाप्त।
9. वित्तीय संस्थान नयी परियोजनाओं को दिए गए सशर्त ऋणों को अब शेयर पूँजी में नहीं बदल सकेगे।
10. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कुछ क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा तथा सार्वजनिक कंपनियों की शेयर पूँजी का कुछ भाग म्यूचुअल फण्डों, वित्तीय संस्थानों व सीधे निवेशकों को बेचा जाएगा।

नयी आर्थिक नीति 1991 का मूल्यांकन :– नयी आर्थिक नीति 1991 का मूल्यांकन निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1. नयी आर्थिक नीति 1991 विभिन्न तरीकों से कुशलता तथा औद्योगिक उत्पाद को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होगी।
2. नयी आर्थिक नीति, 1991 विदेशी विनियोग नीति, विदेशी तकनीकी समझौतों एवं एकाधिकारी और प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम में अनेक ऐसे परिवर्तन किये गये हैं ताकि सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं रहे। इससे योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन करने में होने वाली देरी कम हो सकेगी। जिन व्यक्तियों एवं साधनों को सरकारी अधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाये रखने के लिए उपयोग करना चाहता था वह अब उनका उपयोग उत्पादक क्रियाकलापों के लिए किया जा सकेगा।
3. विदेशी विनियोग एवं तकनीकी समझौतों में किये गये परिवर्तनों से विदेशो में पूँजी, तकनीकी तथा प्रबंध क्षमता का आयात हो सकेगा। इससे इन संसाधनों की देश में कमी दूर हो सकेगी और उत्पादन क्षमता का स्तर भी ऊचॉ हो सकेगा।
4. नयी आर्थिक नीति 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र में

किये गये सुधारों से उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। औद्योगिक नीति में इन सुधारों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्र के हाथ बेचने की व्यवस्था है, क्योकि निजी क्षेत्र की कार्य क्षमता ठीक है। अतः इस विधि से उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही अक्षम एवं कमजोर सार्वजनिक इकाइयों को बन्द करने से इनमें लगे साधन श्रेष्ठ उपयोग के लिए प्रयोग किये जा सकेगे। निजीकरण से स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक इकाइयों के शेयरों की क्रय–विक्रय में वृद्धि होगी परिणामस्वरूप इनके दक्षता स्तर में भी सुधार होगा।

5. नयी आर्थिक नीति 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों होगी उनके लिए समझौता ज्ञापन बनाने एवं कार्यान्वित करने की व्यवस्था की गई है। समझौता ज्ञापनों द्वारा उद्यमों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है तथा उनके दिन–प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप कम किया जाता है। इससे इन इकाइयों के निष्पादन में सुधार होने की संभावना है।

6. नयी आर्थिक नीति 1991 के अन्तर्गत MRTP आयोग का लक्ष्य अब औद्योगिक इकाइयों के आकार को सीमित करने पर न होकर एकाधिकारी, प्रतिबंधक एवं अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने पर होगा। इस व्यवस्था से एकाधिकार एवं अल्प अधिकारिक प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करने में मदद मिलेंगी और प्रतियोगी शक्तियो को प्रोत्साहन मिलेगा फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन एवं उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

नयी आर्थिक नीति 1991 की आलोचनाएँ :– विद्वान अर्थशास्त्रियों ने नयी औद्योगिक नीति, 1991 की आलोचना भी की है। प्रमुख आलोचनाएँ निम्न प्रकार हैं–

1. उत्पादन संरचना में विसंगतियॉ– आलोचकों का कहना है कि देश के दीर्घकालीन औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण उद्योग समूह पूँजीयन वस्तु उद्योगों का समूह है किन्तु इस समूह की वार्षिक विकास दर जो 1980 के दशक में 9.4 प्रतिशत थी। 1997–02 अवधि में कम होकर केवल 4.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष रह गई। वस्तुतः यह प्रवृत्ति सुधार उपरांत औद्योगिक उत्पादन संरचना में होने वाली विसंगतियो का द्योतक है।

2. औद्योगिक विकास में अस्थिरता–नयी आर्थिक नीति 1991 में घरेलू एवं विदेशी निवेशको को कई प्रोत्साहन दिये गये और यह दावा किया गया कि इससे अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का माहौल बनेगा तथा औद्योगिक विकास दर में वृद्धि का अवसर मिलेगा। किन्तु इस नयी नीति का औद्योगिक विकास दर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा और 1990 के दशक में इसमें गिरावट आई। 1997–02 में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर मात्र 5.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जबकि सुधारों में पूर्व के दशक (1980–81 से 1991–92) में औसत विकास दर 7.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। दसवीं योजनांत में यह दर अवश्य बढ़ी। औद्योगिक सूचकांक (आधार वर्ष 1993–94 = 100) वर्ष 2006–07 में बढकर 247% हो गया। परन्तु औद्योगिक विकास दर 2006–07 में 9.2 प्रतिशत रही जबकि लक्ष्य 10 प्रतिशत था। दूसरे, सुधार अवधि के विभिन्न वर्षो में औद्योगिक विकास दर में व्यापक उच्चावचन होते रहे जिससे अनिश्चितता की स्थिति बनी रही। इससे स्पष्ट है कि उदारीकरण अपने आप निवेश और उत्पादक गतिविधि को प्रोत्साहित करने में असमर्थ रहा है।

3. विदेशी प्रतियोगिता से खतरा–आलोचकों के अनुसार उदारीकरण की प्रारंभिक अवधि में निजी क्षेत्र में उद्यमियों ने नयी नीति का जोर–शोर से स्वागत किया किन्तु शीर्घ ही उन्हे ऐसा लगा कि देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रतियोगिता के लिए खोलने से आशय है–अधिक एवं सस्ते या आयात, अधिक विदेशी, निवेश, बहुराष्ट्रीय निगमों को देश में प्रवेश करने और घरेलू उद्योगों को हथियाने की स्वतन्त्रता तथा निजी उद्यमियों की आर्थिक कमजोरी के कारण बहुराष्ट्रीय निगम से प्रतिस्पर्धा करने की अक्षमता। नयी नीति के परिणामस्वरूप देश में जो उदारीकृत वातावरण बना है उसमें भारत के उद्योगपति बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ असमान प्रतियोगिता करने के लिए विवश है। इस प्रकार की असमान प्रतियोगिता कई कारणों से है। भारतीय उद्यम बहुराष्ट्रीय निगमों की तुलना में बहुत छोटे है। लम्बे समय तक भारत के उद्योगपति एक संरक्षणात्मक वातावरण में कार्य करते रहे हैं जिससे उत्पादन में अदक्षताएँ बढ़ी है। पूँजी की दृष्टि से भी भारतीय उद्योग पीछे है। विदेशों से आयातों पर कई छूट दी जा रही है जबकि भारतीय उद्योगों के उत्पादन पर तरह–तरह के कर लगाये जाते है फलस्वरूप विदेशी आयातों के साथ भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। इसीलिए कहा गया है कि भारत एकदम अत्यधिक संरक्षण से लगभग शून्य संरक्षण की तरफ झुक गया है जिससे अंततः नीति प्रेरित अनोद्यौनिगककरण का खतरा उत्पन्न हो गया है। भारतीय उद्योगपति वर्तमान में समान कार्य धरातल (Level Playing Field) की मॉग करने लगे है।

4. **व्यावसायिक उपनिवेशवाद का खतरा–** आलोचकों का कहना है कि नयी औद्योगिक नीति से व्यावसायिक उपनिवेशवाद का खतरा पैदा हो गया है। पिछले कुछ वर्षो में औद्योगिक नीति के अन्तर्गत विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो छूटें व रियायतें दी गई हैं उनसे बहुराष्ट्रीय निगमों को भारत में प्रवेश करने तथा भारत के उद्योगों को क्रय करने का मौका प्राप्त हो गया है। बहुराष्ट्रीय निगम निम्न तीन प्रकार से भारतीय उद्योगों पर कब्जा करने की रीतियों का प्रयोग कर रही है।

(i) कुछ विदेशी निवेशकों ने घरेलू ब्रांडो तथा उसके साथ ही उनके ब्रांडिड उत्पादों को खरीद लिया है जिससे उसके स्थान पर अपने विश्व भर में प्रसिद्ध ब्राण्डों में भारत में बिना घरेलू स्पर्धा के खतरे से बेच सकें।

(ii) विदेशी निवेशकों ने प्रारंभ में भारत के उद्योगपतियों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना की ताकि घरेलू उद्योग क्षेत्र में सरलता से पैर जमा सके। अपनी स्थिति मजबूत होने पर विदेशी निवेशकों ने भारतीय सहयोगी उद्यमी की स्थिति को गौण बना दिया और फिर उसे पूरी तरह विस्थापित कर दिया।

(iii) विदेशी निवेशकों ने घरेलू उद्योगपतियों के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना की किन्तु बाद में अपनी 100 प्रतिशत सहयोगी इकाई भी स्थापित कर दी और उस इकाई को आधुनिकतम तकनीक उपलब्ध कराते रहे और संयुक्त उद्यम के नियमों की खुले आम अवहेलना करते रहे है और संयुक्त उद्यम बेकार हो गये। भारत में जिस गति से बहुराष्ट्रीय निगमों ने घरेलू उद्योगों को अपने कब्जे में करना प्रारंभ किया है उससे व्यावसायिक उपनिवेशवाद का खतरा उत्पन्न हो गया है।

5. **विदेशी निवेश पर अंधविश्वास–** आलोचकों ने नयी नीति की एक आलोचना यह की है कि भारत सरकार को विदेशी निवेश पर अंधविश्वास हो गया है। हाल के वर्षो में भारत सरकार द्वारा की गई नीति घोषणाओं से ऐसा लगता है कि भारत सरकार का यह विश्वास है कि विदेशी निवेश द्वारा देश में तकनीकी सुधार होगे और निर्यात बढने से राजस्व में वृद्धि होगी। किन्तु इस अंधविश्वास का कोई आधार नहीं है क्योकि आज तक किसी भी बहुराष्ट्रीय निगम ने भारत को अपने अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए आधार बनाने का प्रयास ही नहीं किया है। साथ ही सम्पूर्ण छूट व रियायतों के बावजूद बहुराष्ट्रीय निगम ने भारतीय निर्यातों को बढाने की दिशा में आज तक कोई पहल नहीं की है। निगमों ने अपना ही निर्यात बढावा और वह भी अनुबंधों के तहत उतना ही निर्यात किया जितना अनिवार्य था। निगमों की भूमिका व्यापारी जैसी रही है उत्पादक और निर्यातक की हैसियत से नहीं। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका भारत के हित में अभी तक न रही है और भविष्य में भी नहीं रहेगी ऐसा हमारा कहना एवं विश्वास है।

उद्देश्य :– नई आर्थिक नीति का आशय जुलाई 1991 के बाद किये गये विभिन्न नीतिगत उपायों और परिवर्तनों से है, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में प्रतियोगी वातावरण तैयार करके उत्पादकता एवं कुशलता में वृद्धि करना है। नई आर्थिक नीति के मूल तीन उद्देश्य है।

1. विदेशी पूँजी को आकर्षित करना,
2. अर्थव्यवस्था के विस्तार में सरकारी नियंत्रण कम करना
3. वैश्वीकरण (विश्व बाजार) का निर्माण करना है।

वर्ष 1991 में देश में नई आर्थिक नीति लागू हुई, जिसे देश की यू–टर्न पालिसी भी कहा जाता है। जिसके अन्तर्गत उदारीकरण निजीकरण व वैश्वीकरण की क्रियाएँ सम्मिलित की गई। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य उदारीकरण की क्रिया को अपना कर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। परिणाम स्वरूप देश मे अनेकानेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आगमन हुआ, बड़े–बड़े उद्योगों की स्थापना हुई व देश के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे आर्थिक विकास दर में भी वृद्धि हुई। किन्तु इन प्रयासों के बावजूद भी आज भी ग्रामीण विकास का अपेक्षित विकास नही हो पा रहा है।

शोध प्रविधि :– शोध या अन्वेषण किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है। ज्ञान की किसी भी शाखा में ध्यानपूर्वक नये तथ्यों की खोज के लिए किये गये अन्वेषण या परिक्षण को अध्ययन कहते है। ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य अपरिहार्य है।

शोध कार्य में ग्रामीण विकास एवं नई आर्थिक नीति से सम्बन्धित वास्तविक एवं विश्वसनीय आकड़ो को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आंकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्त्रोतो से एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े ग्रामीण विकास एवं नई आर्थिक नीति की समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकाशित– अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शासकीय प्रतिवेदनों आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं। इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी, एवं इंटरनेट आदि का भी आकड़ें एवं विषय वस्तु से संबंधित स्टडी मटेरियल एकत्र करने में प्रयोग किया गया है।

बेतूल जिले की आर्थिक नीति :– देश में दुतिगति से विकास के लिए नयी आर्थिक नीति 1991 लागू की गयी, उसी के अनुरूप प्रदेश में आर्थिक विकास हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2010 लागू है। इसी प्रकार जिले में आर्थिक विकास हेतु जिला उद्योग केन्द्र विकास बेतूल द्वारा बेतूल जिले की औद्यौगिक परिकल्पना 2020 तैयार की गई है। बेतूल जिला औद्यौगिक दृष्टि से पिछडे जिले के 'स' श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है। जिले की जलवायु सम शीतोष्ण है। यहॉ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है, किन्तु धीरे–धीरे लोग कृषि के अलावा अन्य उद्यम जैसे–उद्योग, व्यापार एवं सेवा की ओर आकर्षित हो रहे है। जिला 'स' श्रेणी के अन्तर्गत आता है, जिसकी बदौलत अन्य विकसित जिलों की अपेक्षा बेतूल जिले में उद्योग स्थापना करने पर शासन द्वारा विशेष अनुदान एवं रियायते प्रदान की जाती है।

जिले में स्थापित उद्योगो हेतु उपलब्ध रियायतें/अनुदान :– म.प्र. शासन की नवीन उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्य योजना 2010 के अनुसार बेतूल जिले में स्थापित होने वाले पात्र उद्योगों को निम्नानुसार रियायतें एवं अनुदान की घोषणा की गई है।

1. व्याज अनुदानः– बेतूल जिले में स्थापित होने वाले पात्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगो को 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्ष तक अधिकतम 20 लाख रूपये ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। (अनुसूचित जाति/जन जाति/ महिला/विकलांग व्यक्तियों हेतु यह अनुदान राशि 6 प्रतिशत की दर से 8 वर्ष तक अधिकतम 2.5 लाख रूपये होगी।)

2. निवेश अनुदानः– बेतूल जिले में स्थापित होने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्योगो को 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रूपये का निवेश अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। (अनुसूचित जाति/जन जाति/ महिला/विकलांग व्यक्तियों को यह दर 20 प्रतिशत होगी एवं अनुदान की सीमा 20 लाख होगी।)

3. परियोजना व्यय प्रतिपूर्तिः– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के लघु उद्योगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने में हुए खर्च की प्रति पूर्ति प्रोजेक्ट कास्ट की 1 प्रतिशत की दर से की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रूपये होगी। प्रहर उद्योगों हेतु यह दर 0.5 प्रतिशत होगी।

4. आई.एस.ओ. 9000 व्यय प्रतिपूर्तिः– औद्यौगिक इकाइयों को आई.एस.ओ. 9000 अथवा उसके समकक्ष क्वालिटी प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर उसमें किये गये व्यय के 50 प्रतिशत अधिकतम 100 लाख रूपये तक व्यय की प्रति पूर्ति की जायेगी।

5. पेटेन्ट प्राप्त पर खर्च की प्रतिपूर्तिः– विनिर्माण करने वाली औद्यौगिक इकाइयों में शोध को बढावा देने के उद्देश्य से पेटेन्ट प्राप्त पर हुए खर्च की प्रति पूर्ति अधिकतम 2 लाख रूपये तक की जायेगी।

6. ब्रस्ट सेक्टर उद्योगों को सहायताः– ब्रस्ट सेक्टर के अन्तगर्त आने वाले उद्योगो जैसे टैक्सटाइल्स, इन्फारमेशन टेक्नोलाजी, बायोटेक्नोलाजी आटोमोबाइल, फार्मासियूटिकल्स, हर्बल, फूड प्रोसेसिंग, एग्री एवं शहरी तथा औद्यौगिक अवशिष्ट प्रोसेसिंग इकाइयॉ जिनमें 50 लाख रूपये तक की पूँजी विनियोजन किया गया हो को 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 25 लाख रूपये तक विशेष अनुदान प्रदान किया जायेगा।

7. उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनाः– 1 करोड़ रूपये से अधिक पूँजी नियोजन करने वाली इकाइयों को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के तहत निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

सारणी क्र. 1

क्र.	पात्र पूँजी निवेश	निवेश संवर्धन सहायता की दर	सहायता की अवधि
1.	10 करोड़ से कम	50 प्रतिशत	5 वर्ष
2.	10 करोड़ से अधिक	75 प्रतिशत	10 वर्ष

8. प्रवेश कर से छूटः– पात्र औद्यौगिक इकाइयों को प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 05 वर्ष तक प्रवेश कर से छूट प्रदान की जायेगी।

9. मण्डी कर से छूटः– खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अन्य राज्यो से कच्चा माल मंगाने पर मण्डी टैक्स नहीं लिया जायेगा।

10. विस्तार/शवलीकरण/प्रौद्यौगिकी उन्नतिकरण :– स्थापित वृहद एवं मध्यम उद्योग जो पूर्व में किये गये पूँजी निवेश के 30 प्रतिशत से अधिक का पूँजी विनियोजन विस्तार/शवलीकरण/प्रौद्यौगिकी उन्नतीकरण में करते है तो उन्हे नवीन औद्यौगिक इकाइयों के समतुल्य माना जाकर तदनुसार सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार पूर्व में स्थापित लघु उद्योगों द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक पूँजी निवेश किये जाने पर उन्हे नवीन औद्यौगिक इकाइयो के समतुल्य सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। बेतूल जिले में नयी आर्थिक नीति का स्पष्ट प्रभाव रहा है चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या औद्यौगिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र हो दृष्टिगोचर होता है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बेतूल द्वारा तैयार की गयी औद्यौगिक परिकल्पना 2020 में दशक 2011–2020 तक कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए जिले की जीवनदायिनी बाणसागर

परियोजना के माध्यम से निम्न कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग स्थापित किये जाने प्रस्तावित है। जिले के व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में विगत पॉच वर्ष में पंजीकृत हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों का विवरण निम्नानुसार है।

सारणी क्र. 2

जिला बेतूल में पंजीकृत लघु एवं कुटीर उद्योग

वर्ष	स्थापित उद्योगों की संख्या	विनियोजित पूँजी (लाख में)	रोजगार संख्या
2013–14	454	255.21	895
2014–15	440	244.24	884
2015–16	448	248.35	815
2016–17	430	239.29	801
2017–18	478	322.78	543
योग 05 वर्ष	2250	1308.87	3938

स्त्रोतः– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बेतूल

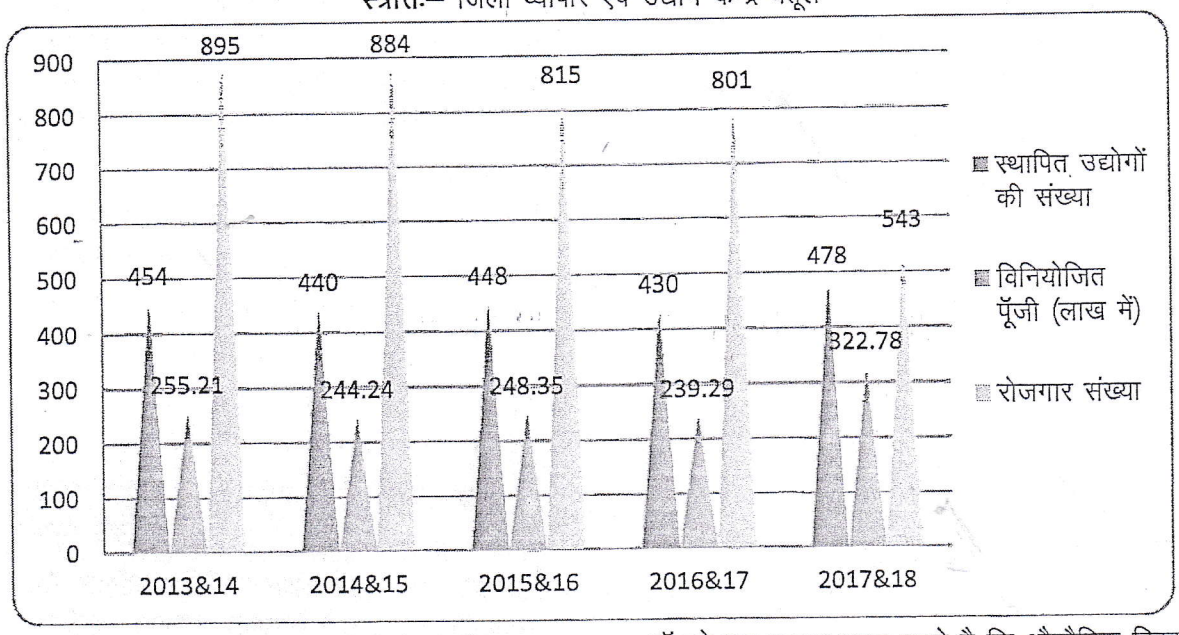

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त ऑकडों से जिले में विगत पॉच वर्षो में कुल 2250 लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित हुए जिनमे 1308.87 लाख रूपयें की पूँजी विनियोजित की गई, तथा 3938 लोगों को रोजगार प्राप्त हुए। ये ऑकडे जिला उद्योग केन्द्र पर संधारित अवश्य हैं, किन्तु शोधार्थी द्वारा किये गये सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि ये सभी उद्योग नाम मात्र के कुछ समय के लिए स्थापित होते है, तथा कुछ ही समय (02 या 03 वर्ष) में ये बीमार उद्योग की श्रेणी में आकर पूँजी के अभाव या शासन की उपेक्षा के चलते बन्द हो जाते है। सर्वे में यह भी पाया गया है कि यह 80 प्रतिशत कुटीर उद्योग के अन्तर्गत बसोर जाति के द्वारा संचालित है। साथ ही इन्हे जो पूँजी उपलब्ध कराई जाती है, उनमें से लगभग आधी राशि सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग के हत्थे चढ़ जाती हैं। उक्त ऑकड़े यह अवश्य स्पष्ट करते है कि औद्यौगिक विकास के परिप्रेक्ष्य में जिले में प्रतिवर्ष लघु उद्योग स्थापित हो रहे है। किन्तु सत्य यह है कि ये मात्र सरकार के लक्ष्य पूर्ति की दृष्टि से कारगर अवश्य है, पर इनसे जिले में आर्थिक विकास पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

निष्कर्ष :– प्रस्तुत शोध पत्र औद्योगित विकास पर नई आर्थिक नीति का प्रभाव (बेतूल जिले के विशेष सन्दर्भ में – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन) के द्वारा जिलें में भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि में औद्योगिक विकास पर आर्थिक नीति के प्रभाव से संबंधित विभिन्न स्थितियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिले में कुटीर, लघु एवं वृहद आर्थिक नीतियों का आपेक्षित विकास नही हो पाया है। आजादी के बाद से आर्थिक नीतियों में सदैव आर्थिक क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्रथमिकता दी गई, तथा नये प्रावधानों,

सुविधाओं तथा सहायताओं के माध्यम, स्वास्थ्य आर्थिक वातावरण निर्मित करने के प्रयास किये गये है। बेतूल जिले में विपुल प्राकृतिक संपदा, कृषि संपदा, पशुधन तथा वनोपज की प्रचुरता के साथ श्रम की बहुलता एवं मध्यम दर्जे की रेलवे परिवहन सुविधा भी उपलब्ध है। किन्तु आर्थिक विकास की गति काफी धीमी रही है। यह स्थिति इस बात का घोतक है कि हमारे प्रयासों एवं नीतियों में कमी रह गई है।

बेतूल जिले में नयी आर्थिक नीति का स्पष्ट प्रभाव रहा है चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र हो दृष्टिगोचर होता है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बेतूल द्वारा तैयार की गयी औद्योगिक परिकल्पना 2020 में दशक 2011–2020 तक कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए जिले की जीवनदायिनी बाणसागर परियोजना के माध्यम से सुगर मिल, 40 डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ, राइस मीलिंग, सोया प्लांट, आटा, मैदा, सूजी, वनस्पति प्लांट, पशु आहार, सोया केक एवं मिल्क मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट आदि।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

- प्रो. ब्रिजेन्द्रपाल सिंह, कृषि अर्थशास्त्र, नवयुग साहित्य सदन, 2000
- डॉ. डी.सी. पंथ,भारत में ग्रामीण विकास, कालेज बुक डिपो, 2003
- डॉ. शिव शंकर सिंह, भारत में समन्वित ग्रामीण विकास एवं नियोजन, रामप्रसाद एण्ड संस, 2002
- मिश्रा एवं पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, रामप्रसाद एण्ड संस, 2002–03
- डॉ. चतुर्भुज मामोरिया, भारत की आर्थिक समस्याएँ, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूट्स, 2007–08
- डॉ. एस.एम. यादव, ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था, रामप्रसाद एण्ड संस, 2002–03
- डॉ. ओ.एस. बेतूलस्तव मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी।